

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 271]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2024—भाद्र 29, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2024

क्र. CT-8-0008-2024-Sec-1-पांच-(CT)(20).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का 17) की धारा 1 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,—

- (क) तारीख 1 अक्टूबर, 2024 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 4 के उपबंध प्रवृत्त होंगे;
- (ख) तारीख 1 अप्रैल, 2025 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2 और 3 के उपबंध प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2024

क्र. CT-8-0008-2024-Sec-1-पांच-(CT).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0008-2024-Sec-1-पांच-(CT)(20), दिनांक 20 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 20th September 2024

No. CT-8-0008-2024-Sec-1-V(CT)(20).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 1 of the Madhya Pradesh (Second Amendment) Act, 2024 (17 of 2024), the State Government hereby appoints,—

- (a) the 1st day of October, 2024, as the date on which the provisions of Section 4 of the said Act, shall come into force;
- (b) the 1st day of April, 2025, as the date on which the provisions of Sections 2 and 3 of the said Act, shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.